

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद-।
संख्या:पॉच-111(वरिष्ठता)2013 दिनांक:जुलाई 5, 2014

सेवा में,

- 1- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 2- समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
- 3- समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
- 4- पुलिस उप महानिरीक्षक, ए0टी0एस0 लखनऊ।

विषय:- मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस से उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक कृपया अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक, कार्मिक, उ0प्र0 के समांक पत्र दिनांक 07-06-2014 का अवलोकन करें, जिसके द्वारा हेड कान्स0 ना0पु0 की 6236 कर्मियों की सूची पुलिस की वेबसाइट <http://uppolice.gov.in/page.aspx?estt.-matters-of-civil-police> पर प्रदर्शित करते हुये इसे आपको ई-मेल से भेजते हुए 25 कॉलम में सूचना मॉगी गयी थी।

2- पुलिस मुख्यालय को जनपदों/इकाईयों द्वारा उपलब्ध करायी सूचना के आधार पर 88वों बैच तक के हे0कान्स0 ना0पु0 पद के प्रशिक्षण प्राप्त मुख्य आरक्षियों की जोन/परिक्षेत्र एवं जनपद/इकाईवार सूची तैयार की गयी है एवं जिन कर्मियों का डाटा अपूर्ण है अथवा वे पुलिस रेग्युलेशन के प्रस्तर-455 अथवा वरिष्ठता के आधार पर मुख्य आरक्षी ना0पु0 के पद पर पदोन्नति पाये अथवा पुलिस आफिस मैनुअल के प्रस्तर-191 के अन्तर्गत उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर कार्यरत है एवं ऐसे हेड कान्स0 ना0पु0 पैडागाजी कोर्स करके वर्तमान में उप निरीक्षक (अध्यापक) के पद पर नियुक्त है, की सूची/डाटा अंकित है। उक्त सूची पुलिस की वेबसाइट <http://uppolice.gov.in/page.aspx?estt.-matters-of-civil-police> पर प्रदर्शित करते हुये इसे आपको ई-मेल से भी भेजा जा रहा है। सूची "ए" में कुल 4658 कर्मियों के नाम अंकित हैं तथा सूची "बी" में ऐसे 799 हेड कान्स0 ना0पु0 हैं, जिनको किसी जनपद/इकाई में नियुक्त नहीं दर्शाया गया है। पुलिस वेबसाइट/ई मेल पर प्रदर्शित सूची को डाउन लोड कर निम्न प्रकार कार्यवाही करायी जाय:-

- (1) अपने जनपद/इकाई से सम्बन्धित कर्मियों का डाटा उनके सेवा अभिलेख से पुनः चेक करा लिया जाय। यदि किसी कर्म का डाटा गलत पाया जाता है तो उसे संशोधित कर दिया जाय।
- (2) अपने जनपद/इकाई से सम्बन्धित कर्मियों के अपूर्ण डाटा में से जो कर्म 88वों बैच तक के हे0कान्स0 ना0पु0 प्रशिक्षण प्राप्त है अथवा पु0रे0 के प्रस्तर-455 अथवा वरिष्ठता के आधार पर वर्ष-2001 तक मुख्य आरक्षी ना0पु0 के पद पर पदोन्नत हुये हैं, उनका डाटा पूर्ण करा लिया जाय।
- (3) यदि आपके जनपद/इकाई में नियुक्त ऐसे किसी मुख्य आरक्षी ना0पु0 का नाम छूटा है, जिसने 88वों बैच तक हे0कान्स0 ना0पु0 प्रशिक्षण प्राप्त किया है अथवा पु0रे0 के प्रस्तर-455 अथवा वरिष्ठता के आधार पर वर्ष-2001 तक मुख्य आरक्षी ना0पु0 के पद पर पदोन्नत पाये हैं, उसका नाम सूची में सम्मिलित कर लिया जाय।
- (4) वरिष्ठता एवं पुलिस रेग्युलेशन के प्रस्तर 455 के अन्तर्गत हेड कान्स0 ना0पु0 के पद पर पदोन्नति पाये कर्मियों के बारे में स्पष्ट रूप से अलग-अलग अंकित किया जाय कि संबंधित कर्म की वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति हुई है अथवा पुलिस रेग्युलेशन के प्रस्तर- 455 के अन्तर्गत स्थानीय स्तर पर प्रोन्नति हुई है।
- (5) यदि किसी मुख्य आरक्षी के पीटीसी प्राप्तांक उपलब्ध न हो तो सम्बन्धित कर्म से प्रशिक्षण संस्थान एवं बैच की जानकारी प्राप्त कर सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में विशेष वाहक भेजकर प्राप्त कर लिया जाय।
- (6) पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्धारित 25 कॉलम की सूचना संबंधित जनपद/इकाई द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर जोनवार/परिक्षेत्रवार/जनपदवार एवं इकाईवार

25 कॉलम में तैयार कर पुलिस वेबसाइट एवं ई मेल पर डाल दी गयी है। अपने-अपने जनपद/इकाई की सूचना लोड करके अभिलेखों के आधार पर सम्पूर्ण सूचना चेक/परीक्षण कर संलग्न सूची में अंकित 25 कॉलम में अंकित कर्मियों से संबंधित हेड कान्स0 ना0पु0 के प्रशिक्षण की मार्कशीट/अंकपत्र एवं चरित्र पंजिका में अंकित प्रशिक्षण अवधि की छाया प्रति के साथ संबंधित चरित्र पंजिका लिपिक/सीआरके को नीचे अंकित निम्न तिथियों को जोनवार पुलिस मुख्यालय उपस्थित होना सुनिश्चित करें, ताकि पुलिस मुख्यालय स्तर पर परीक्षण कर अग्रिम कार्यवाही की जा सके:-

क्र0सं0	जोन का नाम	तिथि
1	मेरठ जोन	12-7-2014
2	बरेली जोन	13-7-2014
3	कानपुर जोन	14-7-2014
4	गोरखपुर जोन	15-7-2014
5	आगरा जोन	16-7-2014
6	वाराणसी जोन	17-7-2014
7	लखनऊ जोन	18-7-2014
8	इलाहाबाद जोन	19-7-2014
9	समस्त इकाईयों	20-7-2014

3- सम्बन्धित सूचनाओं को भरते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाय:-

- कालम संख्या-3 (स्थिति) में यदि सम्बन्धित कर्मी निलम्बित है तो अंकित किया जाय अन्यथा ब्लैंक रखा जाय।
- कालम संख्या-10 (पीटीसी बैच) में सम्बन्धित कर्मी का हे0कान्स0ना0पु0 कोर्स का बैच अंकित किया जाय (उदाहरण 81वॉ, 82वॉ, 83वॉ, 84वॉ यथा)
- कालम संख्या-11 (पीटीसी सत्र) में सम्बन्धित कर्मी का हे0कां0ना0पु0 कोर्स का वर्ष अंकित किया जाय। (उदाहरण 1989, 1990, 1992 यथा)
- कालम संख्या-12 (पीटीसी प्राप्तांक) में सम्बन्धित कर्मी का हे0कान्स0ना0पु0 कोर्स में कुल प्राप्तांक अंकित किये जायेंगे। यदि कोई कर्मी उपनिरीक्षक,वि0श्रे0 पद पर कार्यरत है तो भी उसके हे0कान्स0ना0पु0 प्रशिक्षण में प्राप्त अंकों का ही उल्लेख किया जायेगा।
- कालम संख्या-13 (पीटीसी पूर्णांक) में सम्बन्धित कर्मी का हे0कान्स0ना0पु0 कोर्स का पूर्णांक अंकित किये जायेंगे।
- कालम संख्या-14 (पीटीसी प्रतिशत) में सम्बन्धित कर्मी का हे0कान्स0ना0पु0 कोर्स के प्राप्तांक का प्रतिशत अंकित किया जाय।
- कालम संख्या-15 (चेस्ट नम्बर) में सम्बन्धित कर्मी का हे0कान्स0ना0पु0 कोर्स से सम्बन्धित आवंटित चेस्ट नम्बर अंकित किया जाय। यदि कोई कर्मी उपनिरीक्षक,वि0श्रे0 पद पर कार्यरत है तो भी उसके हे0कान्स0ना0पु0 प्रशिक्षण में आवंटित चेस्ट नम्बर का ही उल्लेख किया जायेगा।
- कालम संख्या-16 (पीटीसी नाम) में सम्बन्धित कर्मी द्वारा जिस प्रशिक्षण संस्थान में हे0कान्स0ना0पु0 कोर्स किया गया हो उस प्रशिक्षण केन्द्र/संस्था का नाम अंकित किया जाय।
- कालम संख्या-17 (भर्ती तिथि) में सम्बन्धित कर्मी के आरक्षी पद पर भर्ती की तिथि अंकित किया जायेगा।
- कालम संख्या-22 (मुख्य आरक्षी ना0पु0 के पद पर पदोन्नति की तिथि) में सम्बन्धित कर्मी के मुख्य आरक्षी ना0पु0 के पद पर पदोन्नति की तिथि का ही उल्लेख किया जायेगा।
- कालम संख्या-23 (पदनाम) में सम्बन्धित कर्मी वर्तमान में जिस पद पर कार्यरत है, वह अंकित किया जाय (जैसे हे0कां0ना0पु0, हे0कां0ना0पु0पी, उ0नि0ना0पु0(वि0श्रे0) उ0नि0ना0पु0-191, उ0नि0(अध्यापक) इत्यादि)
- कालम संख्या-24 (सम्बन्धित जनपद/इकाई से प्राप्त आख्या) उक्त कालम में जिन जनपदों/इकाईयों द्वारा सम्बन्धित कर्मियों के सम्बन्ध में कोई टिप्पणी अंकित की गयी थी, उसे दर्शाया गया है।

- कालम संख्या-25 (अभ्युक्ति) जिन जनपदों/इकाईयों द्वारा कालम संख्या-24 में जो टिप्पणी दी गयी है, उसके सम्बन्ध में जो कार्यवाही अपेक्षित है, उसका उल्लेख किया गया है। सम्बन्धित जनपद/इकाई द्वारा ही उसकी पूर्ति अवश्य सुनिश्चित करेगा।
- यदि संलग्न सूची में आपके जनपद/इकाई में नियुक्ति किसी कर्मी का नाम एक से अधिक बार अंकित हो तो उसी नाम एवं पीएनओ रखा जाय जिससे सम्बन्धित कर्मी का वेतन आहरित हो रहा है।
- यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि जितने कर्मी आपके जनपद/इकाई में नियुक्त है अथवा प्रतिनियुक्ति पर है अथवा कहीं सम्बद्ध है, उन्हीं का डाटा अपने जनपद/इकाई की सूची में शामिल करते हुये उपलब्ध कराया जाय।
- यदि जनपद/इकाई में नियुक्त किसी कर्मी का नाम संलग्न सूची में अंकित न हो तो उसका नाम एवं पूर्ण डाटा भी उपलब्ध कराया जाय।

5- संलग्न सूची बी में अंकित कर्मियों के बारे में सभी जनपद एवं इकाई अपने अधीन नियुक्त कर्मियों की नामावली से समीक्षा कर लें तथा जिस जनपद/इकाई में यह हेड कान्स ना0पु0 नियुक्त है, वे जनपद/इकाई संबंधित मुख्य आरक्षी के बारे में 25 कॉलम में सूचना पूर्ण करते हुए पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराये साथ ही यह प्रमाण पत्र दें कि सूची के शेष हेड कान्स0 ना0पु0 उनके जनपद/इकाई में नियुक्त नहीं हैं।

6- कृपया इसे सर्वोच्च वरीयता प्रदान प्रदान करते हुये उपरोक्त निर्धारित तिथि को जोनवार /समस्त इकाईयों के संबंधित लिपिक निर्धारित 25 कॉलम में मय अभिलेखों सहित उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्नक-सूची (दो प्रकार की)


(कवीन्द्र प्रताप सिंह)

प्रभारी पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना
उत्तर प्रदेश।

संख्या तथा दिनोंक वही।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-पुलिस उपमहानिरीक्षक, एन0आई0ए0, 1/131 विजयखण्ड गोमती नगर लखनऊ।
- 2-उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण इलाहाबाद/लखनऊ/गाजियाबाद/नोयडा/बरेली।
- 3-निदेशक, अन्य पिछड़ा वर्ग निदेशालय इन्दिरा भवन लखनऊ।
- 4-आयुक्त व्यापार कर विभाग उ0प्र0 लखनऊ।
- 5-पुलिस अधीक्षक, पावर कारपोरेशन उ0प्र0 लखनऊ।
- 6-पुलिस अधीक्षक, सीबीआई लखनऊ।
- 7-पुलिस अधीक्षक, सतर्कता उ0प्र0 लखनऊ।

संख्या तथा दिनोंक वही।

प्रतिलिपि-पुलिस महानिदेशक, पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि वे कृपया अपने अधीनस्थ प्रशिक्षण संस्थानों/केन्द्रों के प्रभारी को निर्देशित करने का कष्ट करें कि यदि जनपदों/इकाईयों के प्रभारियों द्वारा किसी कर्मी के हेड कान्स0 ना0पु0 के प्रशिक्षण में प्राप्तांकों से संबंधित सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध करने पर उन्हें यथाशीघ्र उपलब्ध करा दिया जाय।

- 2- पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक, डा0भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी मुरादाबाद/पीटीसी मुरादाबाद/पीटीसी उन्नाव/पीटीसी सीतापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 3- अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, पीटीएस मेरठ/पीटीएस गोरखपुर/पीटीएस मुरादाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 4- अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक, उ0प्र0 लखनऊ।
- 5- पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना, उ0प्र0 लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 6- पुलिस महानिरीक्षक, ए0टी0एस0 उ0प्र0 लखनऊ।